



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48850

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 20136 वर्ष 2023

ओम प्रकाश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अमित गोयल
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

के साथ एक अन्य सम्बद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित गोयल तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे दिनांक 15.08.1981 को आरक्षी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा तत्पश्चात उसे वर्ष 2014 में मुख्य आरक्षी के पद पर, दिनांक 31.08.2018 को उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा वह दिनांक 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05.06.2020 को ₹8,92,617/- की वसूली का आदेश पारित किया गया।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए मुख्य याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे दिनांक 05.12.2023 को विचारार्थ स्वीकार किया गया था।
4. प्रत्यर्थागण द्वारा प्रतिशपथपत्र तथा संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दाखिल किए गए हैं, जिनके उत्तर में प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात याचिकाकर्ता के अनुसार पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 13.11.2019 को वेतन पुनर्निर्धारण का आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा वेतनमान ₹58,600/- से घटाकर ₹50,500/- कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार एकपक्षीय रूप से उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता का निवेदन है कि मुख्य याचिका अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि ₹8,92,617/- की वसूली की गई राशि दिनांक 23.10.2024 को याचिकाकर्ता को वापस कर दी गई है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि संबद्ध याचिका में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध याचिका दिनांक 25.02.2026 को प्रस्तुत की गई है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 13.11.2019 का है, अतः विलंब एवं लापरवाही के कारण पर्याप्त स्पष्टीकरण का अभाव है।

6. पक्षकारों की बहस को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

7. चूँकि ₹8,92,617/- की राशि दिनांक 23.10.2024 को याचिकाकर्ता को वापस कर दी गई है, अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथन के अनुसार मुख्य याचिका अब निरर्थक हो गई है, इसलिए उसे निष्फल मानते हुए निस्तारित किया जाता है।

8. संबद्ध याचिका के संबंध में यह प्रार्थना किए जाने पर कि याचिकाकर्ता को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ के समक्ष दिनांक 27.03.2026 तक एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो। तत्पश्चात तृतीय प्रत्यर्थी, पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा उसका उत्तर प्राप्त होने के उपरांत तीन माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा। इस प्रकार किया गया कोई भी वेतन पुनर्निर्धारण अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ दोनों याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।